



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-03032026-270647
CG-KA-E-03032026-270647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1068]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1068]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हवली, 2 मार्च, 2026

का.आ. 1120(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्... कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में ब्यादराहल्ली-पांडवप्रा स्टेशनों (मुगुरु गांव और नेलामाने गांव) के बीच किलोमीटर 116/500-600 पर स्थित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के स्थान पर आरओबी (रोडिंग लाइन) का निर्माण करने के संबंध में, एतद्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की जाती है:

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है:

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सहायक आयुक्त मांड्या और क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपत्ति के आधार बताए जाएंगे। यह आपत्ति ब्यादराहल्ली-पांडवप्रा स्टेशनों (मुगुरु गांव और नेलामाने गांव) के बीच किलोमीटर 116/500-600 पर स्थित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के स्थान पर आरओबी के निर्माण से संबंधित है। और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से

सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, और सभी आपत्तियों पर सुनवाई करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (2) के तहत दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भाग	क्षेत्रफल ए-जी-ए	हेक्टेयर में
1	मुगुरु	13	4	0-2-3	0.0222
2	मुगुरु	40	11	0-3-0	0.0304
3	मुगुरु	3	7	0-6-2	0.0620
4	मुगुरु	3	6	0-0-5	0.0031
5	मुगुरु	3	5	0-0-15	0.0095
6	मुगुरु	3	3	0-2-13	0.0284
7	मुगुरु	3	8	0-0-4	0.0025
8	मुगुरु	3	2	0-0-15	0.0095
9	मुगुरु	3	4	0-0-15	0.0095
10	मुगुरु	3	9	0-0-3	0.0019
11	मुगुरु	0	/	0-2-8	0.0253
12	मुगुरु	4	7	0-0-2	0.0013
13	मुगुरु	4	6	0-3-10	0.0367
14	मुगुरु	4	4	0-2-0	0.0202
15	मुगुरु	4	2	0-0-6	0.0038
कुल ए				0-26-05	0.2665
16	नेलामाने	468	1	0-8-0	0.0809
17	नेलामाने	468	2	0-4-11	0.0474
18	नेलामाने	467	1	0-7-7	0.0753
19	नेलामाने	467	5	0-0-13	0.0082
20	नेलामाने	467	6	0-0-9	0.0057
21	नेलामाने	467	4	0-0-5	0.0031
22	नेलामाने	467	2B6	0-0-3	0.0019
23	नेलामाने	467	2B1	0-2-8	0.0253
24	नेलामाने	467	7	0-0-11	0.0070
25	नेलामाने	467	2	0-1-12	0.0177
26	नेलामाने	467	3	0-1-15	0.0196
कुल - बी				0-28-14	0.2922
कुल योग एबी+				1A-11G-08A	0.5210

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरएसपी/भूमि/2026]

निगप्पा चंदप्पा चालुवाडी, उप. मुख्य अभियन्ता

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Western Railway)
NOTIFICATION

Hubballi, the 2nd March, 2026

S.O. 1120(E).— In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. “Construction of ROB in lieu of LC No.94 at Km: 116/500-600 between Byadarahalli-Pandavapra stations (Muguru village & Nelamane village)”Mandya District, in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Assistant Commissioner Mandya and Regional Commissioner, Bengaluru for “Construction of ROB in lieu of LC No. 94 at Km:116/500-600 between Byadarahalli-Pandavapra stations (Muguru village & Nelamane village)” Mandya District, in the State of Karnataka, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Part	Area in A-G-A	Area in Hectare
1	Muguru	13	4	0-2-3	0.0222
2	Muguru	40	11	0-3-0	0.0304
3	Muguru	3	7	0-6-2	0.0620
4	Muguru	3	6	0-0-5	0.0031
5	Muguru	3	5	0-0-15	0.0095
6	Muguru	3	3	0-2-13	0.0284
7	Muguru	3	8	0-0-4	0.0025
8	Muguru	3	2	0-0-15	0.0095
9	Muguru	3	4	0-0-15	0.0095
10	Muguru	3	9	0-0-3	0.0019
11	Muguru	0	/	0-2-8	0.0253
12	Muguru	4	7	0-0-2	0.0013
13	Muguru	4	6	0-3-10	0.0367
14	Muguru	4	4	0-2-0	0.0202
15	Muguru	4	2	0-0-6	0.0038
TOTAL - A				0-26-05	0.2665
16	Nelamane	468	1	0-8-0	0.0809
17	Nelamane	468	2	0-4-11	0.0474
18	Nelamane	467	1	0-7-7	0.0753
19	Nelamane	467	5	0-0-13	0.0082
20	Nelamane	467	6	0-0-9	0.0057
21	Nelamane	467	4	0-0-5	0.0031
22	Nelamane	467	2B6	0-0-3	0.0019
23	Nelamane	467	2B1	0-2-8	0.0253
24	Nelamane	467	7	0-0-11	0.0070
25	Nelamane	467	2	0-1-12	0.0177
26	Nelamane	467	3	0-1-15	0.0196
TOTAL-B				0-28-14	0.2922
GRAND TOTAL A+B				1A-11G-08A	0.5210

[F. No. SWR/W352/ RSP/Land/2026]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer